न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

(56)

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

भोला प्रसाद पिता राजमणि पटेल निवासी ग्राम पड़रिया, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.)

प्र/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4553

.... आवेदक

बनाम्

वीरभान पिता रामचन्द्र पटेल निवासी ग्राम पड़रिया, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.)

.... अनावेदक

श्री अमिताभ चतुर्वेदी अभि० द्वारा आज दि. 21-11-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

6-12-17

निगरानी विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार, सर्किल मनिकवार, वृत्त रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.) का प्रकरण क्रमांक 10/अ/9/2016–17 आदेश, दिनांक 17.11.2017 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई.

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।
2. यह कि यह स्वीकृत तथ्य है कि मौके पर 1238 के पूरे भाग में आवेदक का कब्जा, सामान, आबादी, निस्तार, कुँआ, पेड़ आम, नीम, यूकोलिप्टस के लगे हैं व कब्जा है जिसमें मनमाने तौर पर उपखण्ड मौके के अनुसार नक्शा में तर्मीम नहीं किया जा सकता, जबकि उत्तर पश्चिम सिरे में 1238/1 कायम होना चाहिये तथा 1238/2 नियमतः दक्षिण में कायम होने की विधि नियम पटवारी मैन्युअल नियमानुसार होता है। किन्तु पटवारी प्रतिवेदन को जो आधार मानकर आदेश दिया वह अविधिक है व मनमानी है जो किसी भी सूरत में मान्य योग्य नहीं है।
3. यह कि मान्य भूमिस्वामी दर्ज होने के आधार पर जो प्रदर्श पी–1 प्रतिवेदन गलत व मौके के विपरीत थी जिसे प्रदर्श पी–2 में खुट पटवारी प्रतिवेदन में दिनांक

भोला प्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4553

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्र. 10/अ-9/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	